लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2495

01 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग द्वारा प्रदूषण

2495. श्री अश्विनी कुमार चौबे:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में इस्पात संयंत्रों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात संयंत्रों से प्रदूषक विहित सीमा/ मानकों के भीतर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): जी हॉ। लोहा और इस्पात उद्योग की प्रकृति इस प्रकार है कि इसमे कच्चे माल और उर्जा की अत्यधिक खपत होती है तथा प्रदूषण उत्पन्न होता है। तथापि, प्रदूषण की मात्रा और प्रकृति अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर संयंत्र-दर-संयंत्र भिन्न-भिन्न होती है। तद्नुसार, प्रदूषण को निर्धारित सीमाओं के भीतर रोकने के लिए इस्पात संयंत्र विभिन्न अन्य स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की अधिष्ठापना करते है।

(ग) एकीकृत लोहा और इस्पात संयंत्रों के लिए उत्सर्जन और निस्सरण के मानक अधिसूचित किये गये है, जिनकी संयंत्रों द्वारा अनुपालना की जानी है। प्रदूषण स्तरों को अनुमेय सीमा के भीतर कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पद्धतियॉ और प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप उपयोग में लाए जाते हैं।

***